पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 दिसम्बर, 2021 ई0 (पौष 04, 1943 शक सम्वत्) [संख्या–52

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	687–725	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	941–947	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	427–428	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

चिकि. स्वा. एवं चिकि. शिक्षा अनुभाग–2

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

01 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 697 / XXVIII-2-2021-76 / 2015–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत भेषजिक (फार्मासिस्ट) वेतनमान रू0 35400–112400 पे–मैट्रिक्स लेवल–06 के पद पर मौलिक रूप से कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोपरांत मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) वेतनमान रू0 56100–177500 पे–मैट्रिक्स लेवल–10 के रिक्त पदों पर कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. श्री कृष्णानन्द बहुगुणा
2. श्री जयपाल सिंह चौहान

2. उक्त पदोन्नत अधिकारियों को मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

3. उक्त पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

पशुपालन अनुभाग–3 (मत्स्य)

अधिसूचना

विविध

22 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 878 / XV-3/2021-11(09)2020–राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड अधीनस्थ मत्स्य सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ मत्स्य सेवा नियमावली, 2021

भाग –एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली, का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड अधीनस्थ मत्स्य सेवा नियमावली, 2021" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. (1) उत्तराखण्ड अधीनस्थ मत्स्य सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं 3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से निदेशक, मत्स्य अभिप्रेत है;

(ख) **"भारत का नागरिक"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग II के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "संविधान" से "भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(ड) "निदेशक" से निदेशक, मत्स्य, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ज) **"सेवा का सदस्य"** से इस नियमावली या इस नियमावली से पूर्व प्रवृत्त नियमावली या आदेश के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) "सेवा" से उत्तराखण्ड मत्स्य सेवा अभिप्रेत है;

(ञ) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो तथा

(ट) "भर्ती का वर्ष" से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग 2, संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों तथा उनमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी है।

परन्तु :–

(i) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे जिससे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(ii) राज्यपाल ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझे।

भाग– तीन, भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी, अर्थात्:–

(i) मत्स्य निरीक्षक–शत–प्रतिशत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(ii) ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक–मौलिक रूप से नियुक्त मत्स्य निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार, अर्हतायें

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, होना चाहिये या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देश–केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रबजन किया हो :

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) या (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा,

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा या उसके पक्ष में जारी कर दिया जायेगा।

शैक्षिक अर्हतायें

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक है:–

क्र0स0	पद	अर्हता
1	2	3
1.	मत्स्य निरीक्षक	(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक उपाधि। अथवा (ii) सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि अथवा (iii) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मात्स्यिकी विज्ञान में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम

अनिवार्य/वांछनीय अर्हता

9. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार होगी।

अधिमानी अर्हताएं

10. (1) अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने –

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो,

अथवा

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो,

(2) सेन्ट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बैरकपुर से इनलैण्ड फिशरीज ट्रेनिग कोर्स का प्रमाण–पत्र या सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजूकेशन, मुम्बई से डिप्लोमा प्राप्त किया हो।

आयु

11. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाय, की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

12. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में स्वयं समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

13. ऐसा पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक पति जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होंगे;

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वस्थता

14. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ्य नहीं है और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे–

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–II, भाग–III, के अध्याय–III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या–49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग–पॉच,भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की तथा नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र मंगायेगा। आवेदन–पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।

(2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश–पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(3) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके सारणीकरण के पश्चात् आयोग द्वारा नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंको द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में सूची बनायेगा और नियुक्ति के लिए उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझता है। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हों तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर अंक

प्राप्त करें तो अधिक आयु के अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नाम रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होंगे। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

टिप्पणी– प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेंगे।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार तथा उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियॉ उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र–पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलो पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस सवंर्ग में हों, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी, और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो संगत सूचियों में से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रह सके। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

19. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम यथा स्थिति 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो।

(2) जहॉ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा। जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायं, तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखा जायेगा।

परिवीक्षा

20. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके सापेक्ष रिक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामलों में, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिविष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में वह अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी, संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर, स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को, परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

21. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा, यदि :–

(क) उसने विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो उत्तीर्ण कर ली हो;

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो;

(ग) उसका कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक बताया गया हो;

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा

(ड.) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता

22. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर किसी कर्मचारी की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

भाग–सात,वेतन इत्यादि

वेतन

23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थाई आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय सेवा में, विभिन्न श्रेणियों के पदों पर अनुमन्य वेतनमान, इस नियमावली के परिशिष्ट "क" में दिये गये है।

परिवीक्षा अवधि में वेतनमान

24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी की जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो एवं जहॉ विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय, तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना, वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु, यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय, तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ, अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25. किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिदिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य–कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

27. जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों की विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहॉ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी और आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी :

व्यावृत्ति

28. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों के अनुसार, उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क"

नियम–3(क),4(2)और 23(2) देखिये

क्र0 स0	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
		स्थायी	अस्थायी	योग		
01	02	03	04	05	06	07
1.	ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक	28	0	28	35400–112400 लेवल–06	निदेशक, मत्स्य
2.	मत्स्य निरीक्षक	62	0	62	29200–92300 लेवल–05	

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,

सचिव।

In pursuance of the Provision of Clause (3) of article 348 of **'the Constitution of India'**, the Governor pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 878/XV-3/21-11(09)2020** Dehradun, dated November 22, 2021 for general Information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

November 22, 2021

No. 878/XV-3/2021-11(09)2020 -- In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of "the Constitution of India" and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules, regulating recruitment and the conditions of services of persons appointed to the services of the Uttarakhand Subordinate Fisheries Service :-

The Uttarakhand Subordinate Fisheries Service Rules, 2021

PART-I

GENERAL

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Subordinate Fisheries Service Rules, 2021.

(2) It shall come into force at once.

Status of the Service

2. The Uttarakhand Subordinate Fisheries Service is a state service, which comprises Group "C" posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(a) **"Appointing Authority"** means Director, Fisheries;

(b) **"Citizen of India"** means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the Constitution of India;

(c) **"Commission"** means the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission;

(d) **"Constitution"** means 'the Constitution of India';

(e) **"Director"** means Director, Fisheries, Uttarakhand;

(f) **"Government"** means the State Government of Uttarakhand;

(g) **"Governor"** means Governor of Uttarakhand;

(h) **"Member of the Service"** means a person substantively appointed under these rules or rules or orders in force prior to the commencement of these rules;

(i) **'Service'** means the Uttarakhand Fisheries Service;

(j) **'Substantive appointment'** means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(k) **'Year of recruitment'** means a period of twelve months commencing from the first day of July of the calendar year.

PART-II

CADRE

Cadre of Service

4. (1) The strength of the service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given in **Appendix-"A"** :

Provided that-

(a) the Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to the compensation;

(b) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART-III

RECRUITMENT

Source of Recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in service shall be made from the following sources:-

(i) Fisheries Inspector:- 100 percent by direct recruitment through the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission.

(ii) Senior Fisheries Inspector: - By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Fisheries Inspectors, who have completed five years of service, as such, on the first day of the year of the recruitment, on the basis of seniority subject to the rejection of unfit.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Others Backward Classes, Economically Weaker

Sections and other category of the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART-IV

QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to be a post in service must be-

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who come over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the east African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) Shall also be required to obtain certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) mentioned above, no certificate of eligibility Shall be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note:- A candidate in whose case is certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor rejected, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualification

8. A candidate must have following qualifications for the direct recruitment to the posts of in the service:-

Sl. No.	Designation	Qualifications
1.	Fisheries Inspector	(i) Bachelor degree in Fisheries Science from any university established by law in India.

Or

(ii) Any other degree recognized by the Government as equivalent thereto.

Or

(iii) Four year Bachelor course in Fisheries Science from Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology.

Essential/Desirable qualification 9. In accordance with the provisions of the Essential/Desirable Qualification for the Recruitment of Group "C" Post within the Purview of Uttarakhand Public Service Commission and Outside the Purview of the Public Service Commission, 2010 (as amended from time to time).

Preferential Qualification 10. (1) A candidate who has:-

(i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or

(ii) Obtained a "B" or "C" certificate of National Cadet Corps, shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

(2) obtained Certificate of the Inland Fisheries Training Course from Central Inland Fisheries Research Institute, Bairakpur or Diploma from Central Institute of Fisheries Education, Mumbai.

Age 11. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not attained the age of more than 42 years on the first day of July of that calendar year in which vacancies are advertised :

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories of the State of Uttarakhand as may be notified by the State Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character 12. The character of a candidate to a post in service must be such as render him suitable in all respects for employment in Government service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point.

Note- Person dismissed by the Union Government or a State Government or by a local authority or a corporation or body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Person convicted of any offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

13. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has more than one husband living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special ground for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness

14. No such candidate shall be appointed to any post in the service, if he be in good bodily and mental health and is not free from any such physical defect, likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he Shall be required to submit a fitness certificate as per the rules made under the Fundamental rule-10 contained in Chapter-III of Financial Handbook Volume -II Part-III:

Provided that in order of section 33 the posts identified for this and the categories identified under section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act no. 49 of 2016) the disabled, shall not be denied for appointment as per rules.

Provided further that a candidate appointed by promotion shall not be required to produce a fitness certificate.

PART-V

PROCEDURE FOR RECRUITIMENT

Determination of vacancies

15. The Appointing Authority shall determine number of vacancies to be filled during the course of the year and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and Other Categories belonging to State of Uttarakhand under rule 6, and inform the Commission.

Procedure for direct recruitment

16. (1) Application for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the commission in the prescribed form. The application form may be obtained from the Secretary of the Commission on payment.

(2) No candidate shall be admitted the examination unless he holds a admitcard issued by the commission.

(3) After the results of the examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Others Backward Classes, Economically Weaker Sections, and other category of the State of Uttarakhand under rule 6, shall prepare a list of candidates in order of their merit

as disclosed by marks scored in the written examination and recommend such number of candidates as it consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, then, the name of the candidate more in the age shall be placed higher in the list. The number of names in the list shall be more (but not more than 25 percent) than the number of vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

Note: - The Syllabus and rules for competitive examination shall be such as may be prescribed by the Commission from time to time.

Procedure for recruitment by promotion

17. (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority, subject to rejection of unfit through the Selection Committee constituted in accordance with the provision of the Uttarakhand Procedure for Selection by Promotion (for the post outside the purview of Public Service Commission) Rules, 2013 (as amended from time to time) and the Uttarakhand Constitution of Departmental Promotion Committee (for the posts outside the purview of the Public Service Commission) Rules, 2002 (as amended from time to time).

(2) Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates in accordance with the Uttarakhand Promotion by Selection (on the posts outside the purview of Public Service Commission) Eligibility List Rules, 2003 and place it before the selection committee along with their character rolls and such other records pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The selection committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2), and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The selection committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority as in that cadre, to which he is to be promoted, and forward the same to the Appointing Authority.

Combined select list

18. If in any year appointment are to be made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the name of candidates from the relevant lists; in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list be of the person appointed by promotion.

PART-VI

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

19. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates, in the order, in which they stand in the lists prepared under rules 16, 17 and 18 as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made, both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selection is made, from both the sources; and a combined Select list is prepared, in accordance with rule 18.

(3) If more them one orders of appointment are issued in respect of any one selection a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons, in order of seniority, as determined, in the selection, or as the case may be, as it stood, in the cadre, from which they are promoted. If the appointments are made, both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in cyclic order referred to rule 18.

Probation

20. **(1)** A person on substantive appointment to a post or service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend period of probation in individual cases specifying the date up to which the period in extended :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose Services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous Service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

21. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if-

(a) he has passed the prescribed departmental examination: if any;

(b) he has successfully undergone the prescribed training: if any;

(c) his work and conduct is reported to be satisfactory.

(d) his integrity is certified.

(e) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

22. (1) The determination of seniority of a person substantively appointed in any category of posts shall be made as per the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002.

Part- VII

Pay etc.

Pay Scales

23. **(1)** The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Scales of pay at the time of the commencement of these rules is given in **Appendix 'A'** of these rules..

Pay During Probation

24. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary a person on probation if he is not already in permanent government service shall be allowed his first increment in the time-scale, when he has completed one year of satisfactory service has passed departmental examination and under gone training where prescribed, and second increment, after two years service, where he has completed the probationary period and is also confirmed :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post, under the Government, shall be regulated, by the relevant Fundamental Rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay, during probation of a person who is already in permanent government service shall be regulated by the relevant rules applicable to Government Service generally governing in connection with the affairs to the State.

PART-VIII

OTHER PROVISIONS

Canvassing

25. No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service Shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

26. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed in the service shall be governed by the regulations and orders applicable generally to the government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service cause undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, with consultation of commission by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions with as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner;

Saving

28. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and other special categories of persons of the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Annexure 'A'

(see rule 3(a), 4(2) and 23(2)

Sl. No.	Name of the Post	No. of the Posts			Scale of Pay	Appointing Authority
		Permanent	Temporary	Total		
01	02	03	04	05	06	07
1.	Senior fisheries Inspector	28	0	28	35400-112400 Level- 06	Director, Fisheries
2.	Fisheries Inspector	62	0	62	29200-92300 Level-05	

By Order,

R. MEENAKSHI SUNDARAM,

Secretary.

गृह अनुभाग–1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

23 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 1291/XX-1/2021-01(70)2016–राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्याः 1, वर्ष 2008) की धारा 13 सपठित धारा 87 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2019 (समय–समय पर यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

उत्तराखण्ड प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2019 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5(ख), 5(ग) तथा 5(3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5(ख) "मुख्य आरक्षी– पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला), स0पु0 एवं आई0आर0बी0" (1) 50 प्रतिशत पदों पर पात्र आरक्षियों के मध्य विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर पदोन्नति की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट–2 में दी गयी है।	**5(ख) "मुख्य आरक्षी– पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला), स0पु0 एवं आई0 आर0बी0"** आरक्षी पी0ए0सी0/ आई0आर0बी0 से मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0/आई0 आर0बी0 के रिक्त पदों पर अनुपयुक्त को छोडकर शत्–प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर ऐसे आरक्षियों में से जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, को पदोन्नति प्रदान की जायेगी।
(2) शेष 50 प्रतिशत पद ऐसे आरक्षियों में से जिन्होंने चयन वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट–3 में दी गयी है।	
5(ग) गुल्मनायक– (1) गुल्मनायक के पदों के 34 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।	**5(ग) गुल्मनायक–** (1) पचास (50) प्रतिशत पदों को उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।
(2) गुल्मनायक के 33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी के	(2) पचास (50) प्रतिशत पदों को अनुपयुक्त को छोडकर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से

आरक्षी, मुख्य आरक्षियों एवं सशस्त्र पुलिस के मुख्य आरक्षियों में से पुलिस के विभिन्न दलों से विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वालों मे से पदोन्नति द्वारा भरे जायेगें:–

क– आरक्षी पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला) एवं आई0आर0 बी0 के पद पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

ख– मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला), आई0आर0बी0 एवं स0पु0 के पद पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस पद का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

ग– भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 45 वर्ष से अधिक की आयु न हुयी हो।

5(3)– निम्नलिखित पात्रता/शर्तों को पूर्ण करने वाले मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला), आई0आर0बी0 एवं स0पु0 के 33 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को छोडकर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे:–

क–ऐसे मुख्य आरक्षी, जिन्होंने मुख्य आरक्षी के पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों

ख– सेवा अभिलेख विगत 5 वर्षों का संतोषजनक हो अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो, विगत 5 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गयी हो।

परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लंबित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत ना हुयी हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/ विवेचनाधीन / विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्राक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है तो संबधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/ विभागीय कार्यवाही/अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित ना हो पाये तो लंबित अपील/ विभागीय कार्यवाही/ अभियोग के निर्णय निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला), आई0आर0बी0 एवं स0पु0 के मुख्य आरक्षी से संवर्गवार पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

क– ऐसे मुख्य आरक्षी (पुरूष/महिला) जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को मुख्य आरक्षी के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

ख– विगत 5 वर्षों का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो, अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो, विगत 05 वर्ष में कोई सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, विगत 05 वर्ष में कोई दीर्घ दण्ड ना मिला हो, विगत 05 वर्ष में कोई लघु दण्ड ना मिला हो :

परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लंबित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत ना हुयी हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/ विवेचनाधीन / विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्राक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है तो संबधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/ विभागीय कार्यवाही/अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित ना हो पाये तो लंबित अपील/ विभागीय कार्यवाही/ अभियोग के निर्णय

	विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/ विवेचनाधीन / विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्राक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है तो संबधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/ विभागीय कार्यवाही/ अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित ना हो पाये तो लंबित अपील/ विभागीय कार्यवाही/ अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। अपील/ विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सील बन्द लिफाफा खोला जायेगा।	की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। अपील/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सील बन्द लिफाफा खोला जायेगा।

नियम 22 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 22(क) एवं 22(ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
22(क) विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति/नियुक्ति नियम–5(ख)(1) में दी गयी व्यवस्थानुसार की जायेगी। **(ख)** ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति अनुपयुक्त को छोडते हुए नियम–5(ख)(2) में दी गयी व्यवस्थानुसार की जायेगी।	**22(क)** ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति अनुपयुक्त को छोडते हुए नियम–5(ख) के अनुसार की जायेगी। **(ख)** पीएसी में स्वीकृत महिला कम्पनियों में महिला दलनायक, महिला गुल्मनायक एवं महिला मुख्य आरक्षियों की पदोन्नति पीएसी की महिला अभ्यर्थियों से ही

	(ग) गुल्मनायक एवं मुख्य आरक्षी (पुरूष/ महिला) की विभागीय योग्यता परीक्षा के सम्बन्ध में नियमावली में संगत परिशिष्ट में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रक्रिया हेतु विज्ञप्ति एवं दिशा–निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार निर्गत किये जायेंगें।	की जायेगी: परन्तु यह कि दलनायक की पदोन्नति हेतु महिला प्लाटून कमाण्डर भी ज्येष्ठता के आधार पर पुरूष कमाण्डर की भांति पात्र होंगी।
	(घ) पीएसी में स्वीकृत महिला कम्पनियों में महिला दलनायक, महिला गुल्मनायक एवं महिला मुख्य आरक्षियों की पदोन्नति पीएसी की महिला अभ्यर्थियों से ही की जायेगी, परन्तु यह कि दलनायक की पदोन्नति हेतु महिला प्लाटून कमाण्डर भी ज्येष्ठता के आधार पर पुरूष कमाण्डर की भांति पात्र होंगी।	

नियम 24 का संशोधन

4. मूल नियमावली में स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 24 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
24. गुल्मनायक के 33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी के आरक्षी, मुख्य आरक्षियों एवं सशस्त्र पुलिस के मुख्य आरक्षी में से पुलिस के विभिन्न दलों से विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित पात्रता शर्तो को पूर्ण करने वालों मे से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे:– (क) आरक्षी पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला) एवं आई0आर0बी0 के पद पर भर्ती वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला), आई0आर0बी0 एवं स0पु0 के पद पर भर्ती के वर्ष पद का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया हो।	24. विलोपित

(ग) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 45 वर्ष से अधिक की आयु न हुयी हो।

(घ) कैडर विभाजन– अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड राज्य आबँटित किया गया तथा वह वर्तमान समय में उत्तराखण्ड राज्य में नियुक्त हो।

(ड) सेवा अभिलेख विगत 5 वर्षो का संतोषजनक हो, अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो, विगत 5 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गयी हो :

परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लंबित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत ना हुयी हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तथा अभियोग पंजीकृत/विवेचनाधीन/विचाराधीन न्यायालय हो तो एसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है तो संबधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/ अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित ना हो पाये तो लंबित अपील/ विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। अपील/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सील बन्द लिफाफा खोला जायेगा।

(च) नियम 5(ग)(2) में निहित प्राविधानान्तर्गत पी0ए0सी0 संवर्ग में पुरूष एवं महिला का ढांचा/पद सृजन व्यवस्था पृथक–पृथक होने के दृष्टिगत रिक्ति की सीमा तक पुरूष एवं महिला कार्मिकों की पदोन्नति पृथक–पृथक की जायेगी।

गुल्मनायक के पद पर विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर पदोन्नति परिशिष्ट–11 में निर्धारित प्रकियानुसार की जायेगी।

नियम 25 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 25 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
25. गुल्मनायक के 33 प्रतिशत पद पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला), आई0आर0बी0 एवं स0पु0 के मुख्य आरक्षी के पद पर अनुपयुक्त को छोडकर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।	25. गुल्मनायक के 50 प्रतिशत पदों को अनुपयुक्त को छोडकर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले पी0ए0सी0 (पुरूष/महिला), आई0 आर0बी0 एवं स0पु0 के मुख्य आरक्षी से संवर्गवार पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे–
(क) विगत 5 वर्षों का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो, विगत 5 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गयी हो :	(क) विगत 5 वर्षों का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो, विगत 5 वर्षो में कोई दीर्घ दण्ड ना मिला हो, विगत 05 वर्षों में कोई लघु दण्ड ना मिला हो एंव विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गयी हो :
परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लंबित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत ना हुयी हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही	परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लंबित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत ना हुयी हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही

	प्रचलित हो तथा अभियोग पंजीकृत/ विवेचनाधीन/ विचाराधीन न्यायालय हो तो एसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्राक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है तो संबधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/ विभागीय कार्यवाही/ अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित ना हो पाये तो लंबित अपील/ विभागीय कार्यवाही/ अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। अपील/ विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सील बन्द लिफाफा खोला जायेगा। **(ख)** नियम 5(3) में निहित प्राविधानान्तर्गत पी0ए0सी0 संवर्ग में पुरूष एवं महिला का ढांचा/पद सृजन व्यवस्था पृथक–पृथक होने के दृष्टिगत रिक्ति की सीमा तक पुरूष एवं महिला कार्मिकों की पदोन्नति पृथक–पृथक की जायेगी।	प्रचलित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/ विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो एसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्राक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही/ अभियोग में दण्डित होता है तो संबधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/ विभागीय कार्यवाही/ अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित ना हो पाये तो लंबित अपील/विभागीय कार्यवाही /अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। अपील / विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सील बन्द लिफाफा खोला जायेगा। **(ख)** नियम 5(ग)(2) में निहित प्रावधानान्तर्गत पी0ए0सी0 संवर्ग में पुरूष एवं महिला का ढांचा/पद सृजन व्यवस्था पृथक–पृथक होने के दृष्टिगत रिक्ति की सीमा तक पुरूष एवं महिला कार्मिकों की पदोन्नति पृथक–पृथक की जायेगी।

नियम 34 का संशोधन

6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 34(2), 34(3)(ख) एवं 34(3)(ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
34(2) मुख्य आरक्षी:– (क) मुख्य आरक्षी के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति से की जायेगी। कार्मिकों की	**34(2) मुख्य आरक्षी:–** (क) मुख्य आरक्षी के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति से की जायेगी। कार्मिकों की ज्येष्ठता

ज्येष्ठता का निर्धारण आरक्षी के पद पर अन्तिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी।	का निर्धारण आरक्षी के पद पर अन्तिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी।
(ख) विभागीय चयन परीक्षा से चयनित मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता श्रेष्ठता (मेरिट) सूची के आधार पर तैयार की जायेगी।	(ख) किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।
(ग) एक ही चयन वर्ष मे विभागीय चयन परीक्षा से नियुक्त मुख्य आरक्षी एवं ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता जहां तक हो सके दोनों स्रोतों के लिए निहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम (प्रथम नाम ज्येष्ठता से पदोन्नत व्यक्ति का होगा) में निर्धारित किया जायेगा।	(ग) उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के नियम 6 के अनुसार मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता मौलिक पद की ज्येष्ठता के अनुसार यथावत् रहेगी।
(घ) मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की दशा में, सेवा की गणना उक्त पद पर चयन की तिथि से की जायेगी।	(घ) मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की दशा में, सेवा की गणना उक्त पद पर चयन की तिथि से की जायेगी।
34(3)(ख) नियमावली 2019 दिनांक 10.03.2019 से लागू है। पूर्व में सीधी भर्ती कार्मिकों पर नियमावली के ज्येष्ठता सम्बन्धी प्राविधान लागू नहीं होंगें। नियमावली प्रख्यापन से पूर्व की ज्येष्ठता पूर्व प्रचलित व्यवस्थानुसार अर्थात दिनांक 10.03.2019 से पूर्व भर्ती गुल्मनायक एवं विभागीय परीक्षा से चयनित गुल्मनायक की ज्येष्ठता का निर्धारण प्रशिक्षण संस्थानों में चयन के पश्चात प्रशिक्षण में प्राप्त अंको के अनुसार तथा दिनांक 10.03.2019 के पश्चात भर्ती गुल्मनायक एवं विभागीय परीक्षा से चयनित	**34(3)(ख)** सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित गुल्मनायक की ज्येष्ठता चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत तथा प्रशिक्षण संस्थानों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत को जोडकर संवर्गवार तैयार की जायेगी तथा ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत किये गये गुल्मनायकों की ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता के अनुसार होगी।

गुल्मनायक की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2019 के नियम 34(3)(ख) के प्राविधानानुसार की जायेगी।	
34(3)(ग) एक प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त गुल्मनायक पूर्ववर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त गुल्मनायक से कनिष्ठ तथा पश्चातवर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त गुल्मनायक से ज्येष्ठ होंगे। परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती तथा विभागीय परीक्षा से पदोन्नत एवं ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत गुल्मनायक एक ही प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उस दशा में उनकी ज्येष्ठता जहां तक हो सके तीनों स्त्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चकानुक्रम में (प्रथम ज्येष्ठता, द्वितीय विभागीय परीक्षा से पदोन्नत एवं तृतीय सीधी भर्ती से नियुक्त गुल्मनायक) निर्धारित की जायेगी।	**34(3)(ग)** एक प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त गुल्मनायक पूर्ववर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त गुल्मनायक से कनिष्ठ तथा पश्चातवर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त गुल्मनायक से ज्येष्ठ होंगे : परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती तथा पदोन्नत गुल्मनायक एक ही प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उस दशा में उनकी ज्येष्ठता जहां तक हो सके दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चकानुक्रम में (प्रथम ज्येष्ठता एवं द्वितीय सीधी भर्ती से नियुक्त गुल्मनायक) निर्धारित की जायेगी।

परिशिष्ट 2 का विलोपन

7. मूल नियमावली में परिशिष्ट 2 विलोपित कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट 11 का विलोपन

8. मूल नियमावली में परिशिष्ट 11 विलोपित कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,

डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the **"Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 1291/XX-1/2021-01(70)2016** dated November 23, 2021 for general information.

NOTIFICATION

November 23, 2021

No. 1291/XX-1/2021-01(70)2016-- In exercise of the powers conferred by section 13 read with sub-section (1) of section 87 of Uttarakhand Police Act, 2007 (Act No. 1 of 2008) the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Provincial Armed Constabulary Subordinate Officer Service Rules, 2019 (as amended from time to time) -

The Uttarakhand Provincial Armed Constabulary Subordinate Officer Service (Amendment) Rules, 2021

Short title, and commencement **1.** (1) These rules may be called the Uttarakhand Provincial Armed Constabulary Subordinate Officer Service (Amendment) Rules, 2021.

(2) It shall come in to force at once.

Amendment of rule 5 **2.** In the Uttarakhand Provincial Armed Constabulary Subordinate Officer Service Rules, 2019 (hereinafter referred to as the principal rules), for the existing rule 5(b), 5(c) and 5(3) as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rule here by substituted**
5(B). Head Constable- PAC (male/ female) and IRB- (1) The promotion of 50 percent posts shall be made on the basis of departmental eligibility examination held amongst the eligible constables, the procedure of which is given in Appendix-2. **(2)** The remaining 50 percent post from amongst such constables, who have completed 5 years service as such on the first date of the selection year, on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, the procedure of which is given in Appendix- 3.	**5(B).** Head Constable- PAC (male/ female) and IRB- The promotion on the vacant post of Head Constable PAC/ IRB from constables PAC/ IRB shall be made from amongst sach Constables who have completed 5 years service as such on the first day of the selection year, on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit.

5(C). Platoon Commander:

(1) The 34 percent of the posts of Platoon Commander shall be filled by direct recruitment.

(2). The 33 percent of the post of Platoon Commander shall be filled by promotion from amongst substantively appointed constables, Head Constables of Provincial Armed Constabulary and Head Constable of Armed Police on the basis of departmental eligibility examination, from the various units of Police fulfilling the following eligibility conditions-

(a) have completed 5 years service as such on the first day of recruitment year on the post of constable PAC (male/female) and IRB.

(b) have undergone training on the post of Head constable PAC (male/female) and IRB and armed police on the first day of the year of recruitment.

(c) must not have attained the age of 45 years as the first day of the year of recruitment.

5(3). The 33 percent posts shall be filled by promotion, on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit from amongst the Head constables PAC (male/female) IRB and armed police fulfilling the following eligibility conditions—

5(C). Platoon Commander:

(1) 50 percent of posts shall be filled by direct recruitment through Uttarakhand Subordinate Selection Commission.

(2) 50 percent posts shall be filled by promotion on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit, from amongst such Head Constables PAC (male/ female), IRB and Armed Police, on the cadre wise promotion who fulfills the following eligibility conditions-

(a) From such Head Constables (male/female) who have completed minimum 5 years service on the post of Head Constable on the first day of the recruitment year.

(b) The service records of last five years is satisfactory, means no any adverse yearly entry has been made, integrity has not been with held in the last 5 years no major punishment has been awarded in last five years, no minor punishment has been awarded in last five years:

Provided that if the appeal of the punished employee is pending or the period for the appeal has not elapsed or the departmental proceeding is under process, the said candidate shall be allowed to appear conditionally for the above examination, but if during such examination process, his appeal is dismissed/rejected or he is punished during departmental proceedings then

(a) from such Head constables who have completed 5 years service on the post of Head constable.

(b) the service records of last five years is satisfactory, means no any adverse yearly entry has been made, integrity has not been with held in the last 5 years.

Provided that if the appeal of the punished employee is pending or the period for the appeal has not elapsed or the departmental proceeding is under process, the said candidate shall be allowed to appear conditionally for the above examination, but if during such examination process, his appeal is dismissed/rejected or he is punished during departmental proceedings then concerned candidate shall be ousted from the promotional process but if the appeal/departmental proceeding/ writ petition of such employee is not finalized during the examination process, then the result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision of such appeal/departmental proceedings.

concerned candidate shall be ousted from the promotional process but if the appeal/ departmental proceeding/writ petition of such employee is not finalized during the examination process, then the result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision of such appeal/departmental proceedings.

Amendment of rule 22

3. In the principal rules, for the existing rule 22(a) and 22(b) as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rule here by substituted**
22.	**22.**
(a) The promotion / appointment to the post of Head constable through	**(a)** The promotion on the post of Head Constable shall be done, on the basis of seniority, subject to

departmental eligibility examination shall be done according to the provisions of rule 5(B)(1).

(b) The promotion on the post of Head Constable shall be done, on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit according to the provisions of rule 5(B)(2).

(c) Directions and advertisement for procedure in accordance with consistent Annexure in rules regarding departmental eligibility examination for Platoon Commander and Head Constable (male/female) shall be issued according to rules in force at time by police headquarter.

(d) In allotted female companies in P.A.C. promotion of female platoon commander, female company commander and female head constable shall be done from female candidates of P A C:

Provided that for promotion of company commander female platoon commander also shall be eligible similarly as male commander on the basis of seniority.

the rejection of unfit according to the provisions of rule 5(B).

(b) In allotted female companies in P.A.C. promotion of female platoon commander, female company commander and female head constable shall be done from female candidates of P.A.C:

Provided that for promotion of company commander female platoon commander also shall be eligible similarly as male Commander on the basis of seniority.

Amendment of rule 24

4. In the principal rules, for the existing rule 24 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rule here by substituted**
24. 33 percent of the post of Platoon Commander shall be filled by promotion from amongst from the substantively appointed constable, Head Constable of Provincial Armed Constabulary and Head constables of	Omitted

Armed Police on the basis of departmental eligibility examination from different unit of Police of Provincial Armed Constabulary, fulfilling the following eligibility criteria-

(a) have completed 5 years service as such on the post of constable PAC (male/ female) and IRB as on the first day of the year of recruitment;

(b) undergone the training to the post of Head constable PAC (male/female) IRB and armed police on the recruitment year;

(c) have not attained the age more than 45 years on the first day of selection year;

(d) Cadre division- The candidate must have been finally allotted State of Uttarakhand by the Government of India and presently the must be appointed in the Uttarakhand State;

(e) The service records for the last 05 years must be satisfactory and no adverse entry have been made, in the last 05 years integrity must not have been withheld;

Provided that if the appeal of the punished employee is pending or the period for the appeal has not elapsed or the departmental proceeding is under process, the said candidate shall be allowed to appear conditionally for the above examination, but if during such examination process, his appeal is dismissed/ rejected or he is punished during departmental proceedings then

concerned candidate shall be ousted from the promotional process but if the appeal / departmental proceeding/ writ petition of such employee is not finalized during the examination process, then the result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision of such appeal/ departmental proceedings. After completion of appeal/Departmental proceedings or final decision of writ petition in anticipation of decision sealed envelope of employee shall be opened.

(f) In accordance with the provision vested in rule 5(c) (2) in a view of separate structure/post allocated arrangement of male/female in PAC cadre till the limit of vacancy promotion of male female employee shall be done separately.

The promotion on the post of Platoon Commander on the basis of departmental eligibility examination shall be done according to the procedure prescribed in Appendix-11.

Amendment of rule 25

5. In the principal rules, for the existing rule 25, as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rule here by substituted**
25. 33 percent of the posts of Platoon Commander shall be filled by promotion on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit amongst from the Head Constables PAC (male/female), IRB and Armed Police.	**25.** The 50 percent posts of Platoon Commander shall be filled by promotion on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit, from amongst such Head Constables PAC (male/ female), IRB and Armed Police, on the cadre wise promotion who fulfills the following eligibility conditions-

(a) The service records for the last 05 years must be satisfactory and no adverse entry have been made, in the last 05 years integrity must not have been withheld:

Provided that if the appeal of the punished employee is pending or the period for the appeal has not elapsed or the departmental proceeding is under process the said candidate shall be allowed to appear conditionally for the above examination, but if during such examination process, his appeal is dismissed/ rejected or he is punished during departmental proceedings then concerned candidate shall be ousted from the promotional process but if the appeal/ departmental proceeding/ writ petition of such employee is not finalized during the examination process, then the result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision of such appeal/ departmental proceedings.. After completion of appeal/Departmental proceedings or final decision of writ petition in anticipation of decision sealed envelope of employee shall be opened.

(b) In accordance with the provision vested in rule 5(3) in a view of separate structure/post allocated arrangement of male/female in PAC cadre till the limit of vacancy promotion of male female employee shall be done separately.

(a) The service records of last five years is satisfactory, means no any adverse yearly entry has been made, no major punishment has been awarded in last five years, no minor punishment has been awarded in last five years and integrity has not been with held in the last 5 years:

Provided that if the appeal of the punished employee is pending or the period for the appeal has not elapsed or the departmental proceeding is under process, the said candidate shall be allowed to appear conditionally for the above examination, but if during such examination process, his appeal is dismissed/ rejected or he is punished during departmental proceedings then concerned candidate shall be ousted from the promotional process but if the appeal/ departmental proceeding/writ petition of such employee is not finalized during the examination process, then the result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision of such appeal/departmental proceedings.

(b) In accordance with the provision vested in rule 5(C)(2) in a view of separate structure/post allocated arrangement of male/female in PAC cadre till the limit of vacancy promotion of male and female employee shall be done separately.

Amendment of rule 34

6. In the principal rules, for the existing of rule 34(2), 34(3) (b) and 34 (3)(c), as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rule here by substituted
(2) Head Constable:-	**(2) Head Constable:-**
(a) The promotion on the post of Head Constable shall be done on the basis of seniority. The determination of seniority of personals shall be done on the basis of final seniority list on the post of Constable;	(a) The promotion on the post of Head Constable shall be done on the basis of seniority. The determination of seniority of personals shall be done on the basis of final seniority list on the post of Constable;
(b) The seniority of head constable selected through departmental examination shall be prepared on the basis of merit list;	(b) The seniority of person appointed substantively on any post shall be determined according to the Uttarakhand Government Servant Seniority Rules, 2002 as amended from time to time.
(c) The seniority of the Head Constable appointed through departmental selection examination and head constable promoted on the basis of seniority in one selection	(c) The seniority of Head Constable shall be same as the seniority of substantive post according to the rule 6 of the Uttarakhand Government Servant Seniority Rules, 2002.
(d) year, so far as may be determined in the cyclic order (the first name be the person promoted through seniority) in accordance with the prescribed quota for both sources;	(d) The computation of service of the candidate selected for promotion on the post of the Head Constable, in case of successfully completion as training shall be done from the date of selection on the said posts.
(e) The computation of service of the candidate selected for promotion on the post of the Head Constable, in case of successfully completion as training shall be done from the date of selection on the said posts.	
34(3)(b). Rules 2019 are applicable from date 10.03.2019. Seniority related provision of rules shall not be applicable on previous Direct recruitment employee seniority before	**34(3)(b).** The seniority of the Platoon Commander selected through direct recruitment shall be prepared cadre wise by adding fifty percent of the marks obtained in selection examination and fifty percent of marks obtained in the training after

the promulgation of rules shall be in according to previous arrangement namely seniority of platoon commander recruited and platoon commander selected by departmental examination before 10.03.2019 shall be determined according to marks scored in training after selection in training institute and seniority of platoon commander recruited and platoon commander selected by departmental examination after 10.03.2019 shall be done according to provision of rule 34(3)(b) of the Uttarakhand Provincial Armed Constabulary (PAC, AP and IRB) Constable, Platoon Commander, Sub-Inspector armed Police, Company Commander and Reserve Inspector Subordinate Service Rules, 2019.	successful completion of training in the training institution and the seniority of Platoon Commander promoted on the basis of seniority shall be according to the seniority in their feeding cadre.
34(3)(c) All Platoon Commander trained in one training session shall be junior to trained Platoon Commander of previous training session and senior to trained Platoon Commander of subsequent training session;	**34(3)(c)** All Platoon Commander trained in one training session shall be junior to trained Platoon Commander of previous training session and senior to trained Platoon Commander of subsequent training session;
Provided that if the platoon commander appointed by direct recruitment and by promotion got training in one training session, in that case, their seniority, so far as may be, determined in the cyclic order (first seniority, second promoted by departmental examination and third platoon commander appointed by direct recruitment) in accordance with the prescribed quota for three sources.	Provided that if the platoon commander appointed by direct recruitment and by promotion got training in one training session, in that case, their seniority, so far as may be, determined in the cyclic order (first seniority, and second platoon commander appointed by direct recruitment) in accordance with the prescribed quota for two sources.

Omission of Annexure 2

7. In the principal rules, Annexure 2 shall be omitted.

Omission of Annexure 11

8. In the principal rules, Annexure 11 shall be omitted.

By Order,

Dr. RANJEET KUMAR SINHA,

Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 हिन्दी गजट/507–भाग 1–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 दिसम्बर, 2021 ई0 (पौष 04, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

November 17, 2021

No. 361/XIV-a-41/Admin.A/2013--Shri Manoj Garbyal, 3rd Additional District Judge, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 17 days w.e.f. 16.10.2021 to 01.11.2021 with permission to prefix 13.10.2021 as Mahashtami (local holiday),14.10.2021 & 15.10.2021 as Dussehra holidays & suffix 02.11.2021 to 06.11.2021 as Deepawali holidays and 07.11.2021 as Sunday holiday respectively.

NOTIFICATION

November 17, 2021

No. 362/XIV/42/Admin.A/2016--Shri Prakash Chandra, Judicial Magistrate-1st, Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 22.10.2021 to 01.11.2021.

NOTIFICATION

November 22, 2021

No. 363/XIV-95/Admin.A/2003--Ms. Kusum, Judge Family Court, Almora, is hereby sanctioned earned leave for 17 days w.e.f. 16.10.2021 to 01.11.2021 with permission to prefix 14.10.2021 & 15.10.2021 as Dussehra holidays and suffix 02.11.2021 to 06.11.2021 as Deepawali holidays and 07.11.2021 as Sunday holiday .

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

November 24, 2021

No. 364/UHC/Admin.A/2021--In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all the other powers enabling in that behalf, the High Court of Uttarakhand hereby makes the following amendment in the High Court of Uttarakhand Rules, 2020-

Sl. No.	Existing Rule	Amended Rule
1.	48. An Advocate, desirous of out of turn listing of a fresh or pending case for urgent hearing, may make an oral mention before the Bench concerned by way of a Mention Memo, the format of which given in the schedule as 'Format No.5'	48. An Advocate, desirous of out of turn listing of a case for urgent hearing, may file an urgency application for the urgent hearing under Rule-33 of Chapter VIII of the Allahabad High Court Rules, 1952 (as applicable in the Court).
2.	49. No application for urgent hearing will be entertained by the Registry. Such an application, when presented in the Registry, shall be returned to person presenting the same.	49. Where due to extreme urgency, it is not possible for an Advocate to file an urgency application as mentioned in the preceding rule, he may make an oral mention before the Bench concerned by way of a Mention Memo, the format of which is given in the Schedule as Format No. 5.

This amendment shall come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

Sd/-

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General.

NOTIFICATION

November 25, 2021

No. 366/XIV-a-43/Admin.A/2020--Shri Shrey Gupta, Additional, Civil Judge (Jr. Div,), Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned medical leave of 17 days w.e.f. 18.04.2021 to 04.05.2021.

NOTIFICATION

November 25, 2021

No. 367/XIV-a/34/Admin.A/2013--Ms. Rashmi Goyal, Civil Judge (Sr. Div.), Pithoragarh, is hereby sanctioned earned leave for 22 days w.e.f. 11.10.2021 to 01.11.2021 with permission to prefix 09.10.2021,10.10.2021 as second Saturday, Sunday and suffix 02.11.2021 to 06.11.2021 as Deepawali holidays & 07.11.2021 as Sunday holiday respectively.

NOTIFICATION

November 25, 2021

No. 368/XIV-a-50/Admin.A/2015--Ms. Shama Parveen, Judicial Magistrate-1st, Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 11.11.2021 to 20.11.2021 with permission to suffix 21.11.2021.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्, देहरादून

नोटिस

06 दिसम्बर, 2021 ई0

पत्रांक 611/उ0आ0वि0परि0 पत्रा0सं0–04 (2019–20)

उत्तराखण्ड (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम–1965) (संशोधन) अधिनियम–2009 की धारा 28 अन्तर्गत।

मै0 एस0के0 हिन्दुस्तान एण्ड कम्पनी, 200 मौहल्ला, मीरासीयान, वार्ड नं0 कस्बा लण्ढौर, रूड़की जिला हरिद्वार द्वारा ग्राम मंगलौर तहसील रूड़की जिला हरिद्वार में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत दुर्बल आय–वर्ग आवास निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा यह योजना उक्त विकासक की सहभागिता से प्रस्तावित की गई है। योजनान्तर्गत कुल 544 दुर्बल आय वर्ग भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। योजना का विवरण निम्नवत् है:–

भूस्वामी का नाम	पता	प्रस्तावित स्थल/ग्राम का नाम	तहसील/ जनपद	खसरा नं0	रकबा	योजना हेतु कुल रकबा
श्री संजीव जैन पुत्र महेन्द्र कुमार जैन एवं श्री अब्दुल लतीफ पुत्र अब्दुल्ला	निवासी मौहल्ला लालवाड़ा कस्बा मंगलौर जिला हरिद्वार	ग्राम मंगलौर	तहसील रूड़की जिला हरिद्वार	खसरा नं0– 2732 2733	0.7982 हे0 0.5530 हे0	1.3512 हे0

इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत् प्रकार है :–

उत्तर में परियोजना हेतु पहुँच मार्ग, पूरब में चक मार्ग तथा अन्य भूमि, दक्षिण में खसरा सं0– 2760/3 एवं 2760/4 की अन्य भूमि एवं पश्चिम में अन्य भूमि स्थित है।

उपरोक्त योजना का नक्शा, योजना का विवरण तथा प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय, राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे पूर्वान्ह से 03:00 बजे अपरान्ह तक अथवा परिषद् की वेबसाइड https://ukavp.org पर देखा जा सकता है।

इस नोटिस के प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि .....से दिनांक .....तक योजना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में प्रस्तुत की जा सकती हैं।

प्रकाश चन्द्र दुम्का

अपर आवास आयुक्त।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
टनकपुर (चम्पावत)
आदेश

23 सितम्बर, 2021 ई0

पत्रांक 756/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UA03-4736 HGV मॉडल 2006 चैचिस 88VFJ48628P इंजन न0 B55109SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री ललित पुत्र श्री मोहन निवासी म.न 24 ग्राम. नेहरू बाजार पोस्ट व तहसील. टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 10/09/2021 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 23.09.2021 को वाहन संख्या UA03-4736 HGV मॉडल 2006 चैचिस 88VFJ48628P इंजन न0 B55109SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

25 सितम्बर, 2021 ई0

पत्रांक 770/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UA03-4812 HGV मॉडल 2006 चैचिस 96VFJ72806P इंजन न0 B22995SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री गिरीश चन्द्र पुत्र श्री दया राम निवासी–मकान संख्या 170 दियूरी तोक भनौली जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है दिनांक 20/09/2021 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 25.09.2021 को वाहन संख्या UA03-4812 HGV मॉडल 2006 चैचिस 96VFJ72806P इंजन न0 B22995SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

25 सितम्बर, 2021 ई0

पत्रांक 771/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UA04B9578 LGV मॉडल 1995 चैचिस BSW186658 इंजन न0 188409 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री मनोज कुमार श्री अमित कुमार पुत्र श्री पी.डी. त्यागी एण्ड श्री हरिओम निवासी–झनकट खटीमा उधम सिंह नगर के नाम पंजीकृत है दिनांक 16/09/2021 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 25.09.2021 को वाहन संख्या UA04B9578 LGV मॉडल 1995 चैचिस BSW186658 इंजन न0 188409 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

28 सितम्बर, 2021 ई0

पत्रांक 807/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UA03-2179 HGV मॉडल 2003 चैचिस VFJ64090P इंजन न0 SVF90K84894 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्रीमती रेनू नाथ पत्नी श्री रवीन्द्र नाथ निवासी–सिमेण्ट रोड टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है दिनांक 21/09/2021 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.09.2021 को वाहन संख्या UA03-2179 HGV मॉडल 2003 चैचिस VFJ64090P इंजन न0 SVF90K84894 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

28 सितम्बर, 2021 ई0

पत्रांक 813/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UA02-1941 MAXI CAB मॉडल 2006 चैचिस MA1MB2GK63D36912 इंजन न0 GA64D27252 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्रीमती अनीता पत्नी जगदीश चन्द्र निवासी–मकान संख्या 154 रेलवे वार्ड नम्बर 10 पोस्ट–टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत हैं, दिनांक 22/09/2021 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.09.2021 को वाहन संख्या UA02-1941 MAXI CAB MAXI CAB मॉडल 2006 चैचिस MA1MB2GK63D36912 इंजन न0 GA64D27252 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

29 सितम्बर, 2021 ई0

पत्रांक 814/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UP25AT-2567 MAXI CAB मॉडल 2011 चैचिस MAT445112AVN82919IIRTOBLY13 इंजन न0 275IDI06LZYSG7205 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन रुकसाना पत्नी सब्बीर हुसैन निवासी–मकान संख्या 155 फागपुर, बनबसा, चन्दनी टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत हैं, दिनांक 23/09/2021 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.09.2021 को वाहन संख्या UP25AT-2567 MAXI CAB मॉडल 2011 चैचिस MAT445112AVN82919IIRTOBLY13 इंजन न0 275IDI06LZYSG7205 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

29 सितम्बर, 2021 ई0

पत्रांक 817/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UK03TA0530 MAXI CAB मॉडल 2012 चैचिस MA1WG2GHKC3H44761 इंजन न0 GHC4G15673 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री सूरज सिंह बोहरा पुत्र श्री पूरन सिंह बोहरा निवासी–मकान संख्या 65 ग्राम–खराही पोस्ट बलतड़ी तहसील पाटी जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत हैं, दिनांक 21/09/2021 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.09.2021 को वाहन संख्या UK03TA0530 MAXI CAB मॉडल 2012 चैचिस MA1WG2GHKC3H44761 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

29 सितम्बर, 2021 ई0

पत्रांक 820/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UP25-9196 MGV मॉडल 1998 चैचिस 18EC80853055 इंजन न0 9D31C80845908 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री शत्रुधन सिंह पुत्र श्री शम्भूदयाल निवासी–मकान संख्या 222 भजनपुर बनबसा चम्पावत के नाम पंजीकृत हैं, दिनांक 27/09/2021 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.09.2021 को वाहन संख्या UP25-9196 MGV मॉडल 1998 चैचिस 18EC80853055 इंजन न0 9D31C80845908 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

27 अक्टूबर, 2021 ई0

पत्रांक 936/पंजीयन निरस्त/2021–वाहन संख्या UA035541 (H.G.V) मॉडल 2007 चैचिस 90VFJ54913P इंजन न0 B72949SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री शंकर सिंह पुत्र श्री कुवर सिंह निवासी ग्राम चल्थी द्यूरी जिला. चम्पावत के नाम पंजीकृत है दिनांक 26/10/2021 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 27.10.2021 को वाहन संख्या UA035541 (H.G.V) मॉडल 2007 चैचिस 90VFJ54913P इंजन न0 B72949SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

29 अक्टूबर, 2021 ई0

पत्रांक 950/पंजीयन निरस्त/2021–वाहन संख्या UP02A2950 (H.G.V) मॉडल 2004 चैचिस 83VFJ30840P इंजन न0 B36185 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री हेमेश खर्कवाल पुत्र श्री प्रयाग दत्त खर्कवाल निवासी. वार्ड न0 02 टनकपुर जिला. चम्पावत के नाम पंजीकृत है दिनांक 28/10/2021 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.10.2021 को वाहन संख्या UP02A2950 (H.G.V) मॉडल 2004 चैचिस 83VFJ30840P इंजन न0 B36185 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 हिन्दी गजट/507–भाग 1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 दिसम्बर, 2021 ई0 (पौष 04, 1943 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्रों में मेरा नाम त्रुटिवश राकेश कुमार दर्ज हो गया हैं जबकि मेरा वास्तविक नाम राकेश कुमार पाल है। भविष्य में मुझे राकेश कुमार पाल पुत्र पीतांबर के नाम से जाना जाएं।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राकेश कुमार पाल पुत्र पीतांबर
निवासी मकान नंबर 23 टाइप 2
सेक्टर 4 रानीपुर, हरिद्वार।

सूचना

IN my Lic Policy No. 271028410 my name AMAR KUMAR wrongly mentioned. My correct name is HARBIR SINGH in future I may be known as Harbir Singh S/o Chatar Singh.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Harbir Singh S/o Chatar Singh.
Village-Nagla China, Post Gurukul
Narsan, Roorkee

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 हिन्दी गजट/507–भाग 8–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।